

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 195] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 14, 1975/आषाढ़ 23, 1897
No. 195] NEW DELHI, MONDAY, JULY 14, 1975/ASADHA 23, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS
ORDERS

New Delhi, the 14th July 1975

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, namely :—

1. (1) This Order may be called the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule appended to the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, for the item "I. Basic ceiling selling prices of Kerosene in bulk per kilolitre ex-storage points" and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely :—

"I. Basic Ceiling Selling Prices of Kerosene in bulk per Kilolitre ex-storage points

Refinery/Port	Kerosene Superior	Aviation Turbine Fuel
	Rs./KL	Rs./KL
(a) Bombay/Koyali	964.24	1267.13
(b) Cochin	966.76	—
(c) Madras	974.66	1286.49
(d) Visakhapatnam	972.04	1279.92
(e) Haldia/Digboi/Gauhati/Barauni	978.82	1285.32
(f) Calcutta	999.63	1285.32".

[No. P-20012/60/75-PPD]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1975

स.ग. का. नि. 404 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मिट्टी का तेल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1970 का और संशोधन करने के लिए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्यों का नियतन) संशोधन आदेश, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्यों का नियतन) आदेश, 1970 की अनुसूची में मद "1 भंडार द्वार पर प्रपूज मिट्टी के तेल की प्रति किलो लिटर मूल अधिकतम विक्रय मूल्यों में" तथा उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"1. भंडार द्वार पर प्रपूज मिट्टी के तेल की प्रति किलो लिटर मूल अधिकतम विक्रय मूल्य

रिफाइनरी/पोर्ट	मिट्टी का तेल बढ़िया	विमानन टरबाइन ईंधन
	रुपये/किलो लिटर	रुपये/किलो लिटर
(क) बम्बई/कोयाली	964.24	1267.13
(ख) कोचीन	966.76	—
(ग) मद्रास	974.66	1286.49
(घ) विशाखापत्तनम	972.04	1279.92
(ङ) हल्दिया, डिग्बोई, गोहाटी, बरोनी	978.82	1285.32
(च) कलकत्ता	999.63	1285.32''।

G.S.R. 405(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Light Diesel Oil (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1973, namely :—

1. (1) This Order may be called the Light Diesel Oil (Fixation of Ceiling Prices) Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule appended to the Light Diesel Oil (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1973, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"THE SCHEDULE

[See clauses 2(d) and 3]

Prices of Light Diesel Oil in bulk per kilolitre ex-storage points

Refinery/Port	Light Diesel Oil Rs./KL
(a) Bombay/Koyali	879.64
(b) Cochin	879.00
(c) Madras	894.13
(d) Visakhapatnam	884.86
(e) Haldia/Digboi/Gauhati/Barauni	892.24
(f) Calcutta	892.24".

[No. P-20012/60/75-PPD]

सू० का० नि० 405(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइट डीजल आयल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1973 का संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश लाइट डीजल आयल (अधिकतम कीमतों का नियतन) संशोधन आदेश 1975 कहा जा सकेगा।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि को लागू होगा।

2. लाइट डीजल आयल (अधिकतम कीमतों का नियतन) आदेश, 1973 में संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जावेगी, अर्थात् :—

“अनुसूची

[धारा 2 (घ) और धारा (3) देखें]

भंडार द्वार पर प्रपुंज लाइट डीजल आयल की प्रति किलोमीटर कीमतें

गोधनशाला/बन्दरगाह	(लाइट डीजल आयल रुपये/किलोलिटर)
(क) बम्बई अथवा कोयाली	879.64
(ख) कोचीन	879.00
(ग) मद्रास	894.13
(घ) विशाखापत्तनम	884.86
(ङ) हल्दिया/दिगबोई/गोहाटी/बराउनी	892.24
(च) कलकत्ता	892.24”.

[सं० पी०-20012/60/75-पी० पी० डी०]

G.S.R. 406(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Furnace Oil (Fixation of Ceiling Prices and Distribution) Order, 1974, namely :—

1. (1) This Order may be called the Furnace Oil (Fixation of Ceiling Prices and Distribution) Third Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Second Schedule to the Furnace Oil (Fixation of Ceiling Prices and Distribution) Order, 1974, for the entries under the “Basic ceiling selling prices of Furnace Oil in bulk per kilolitre”, the following shall be substituted, namely :—

Refinery/Port	Ex-storage points Rs./KL
(a) Bombay/Koyali	763.07
(b) Cochin	762.34
(c) Madras	777.79
(d) Visakhapatnam	769.40
(e) Haldia/Digboi/Gauhati/Barauni	776.82
(f) Calcutta	801.13

[No. P-20012/60/75-PPD]

C. VENKATARAMANI, Jt. Secy

सं० का० नि० 406(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा भट्टी तेल (मूल्य और वितरण की उच्चतम सीमा का नियतन) आदेश 1974 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है ; अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश भट्टी तेल (मूल्य और वितरण की उच्चतम सीमा का नियतन) तृतीय संशोधन आदेश, 1975 कहलायेगा।

(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।

2 भट्टी तेल (मूल्य और वितरण की उच्चतम सीमा का नियतन) आदेश, 1974 की द्वितीय अनुसूची में "प्रति किलो लिटर प्रपुंज भट्टी तेल का मूल अधिकतम विक्रय मूल्य" के अन्तर्गत प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा ; अर्थात्:—

शोधनशाला/बन्दरगाह	भण्डार द्वार पर (रुपये/किलो लिटर)
(क) बम्बई/कोयाली	763.07
(ख) पोचीन	762.34
(ग) मद्रास	777.79
(घ) विशाखापत्तनम	769.40
(ङ) हल्दिया/डिग्वोई/गोहाटी/बरोनी	776.82
(च) कलकत्ता	801.13

[सं० पी०-20012/60/75-पी०पी०डी०]

सी० बेंकटरमणि, संयुक्त सचिव ।

